

17/23

पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील अदालत
-मायात्मक समय में लक-लक कर बार-बार
लफायायी गई। ना तो वादी वकील और ना ही
वादी उपस्थित हुए। अतः पत्रावली विनियम 3
स्थिता के आदेश 9 निम्न 3 (अदम पेंडी
अदम लाजरी) के तहत खारिज की जाती
है। पत्रावली केसल में शुमार हो नमूने
क्रम की जाकर दखिल दफतर हो।

उप
चौथ

